राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 635 / 2009 / झालावाडा

सहायक आयुक्त
प्रतिकरापवंचन–प्रथम,कोटा — अपीलीर्थी

बनाम

मैसर्स जनता एग्रो स्टील इण्डस्ट्रीज
भवानी मण्डी,झालावाडा — प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा,सदस्य

उपस्थितः

श्री अनिल पोखरणा
उप राजकीय अभिभाषक — अपीलार्थी की ओर से

श्री एम.एल. पाटोदी, अभिभाषक
व ईशू जैन, सी.ए. — प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 8.3.2016

निर्णय

अपीलार्थी सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर, प्रतिकरापवंचन–प्रथम,कोटा (जिसे आगे "कर निर्धारण अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा यह अपील उपायुक्त(अपील्स), वाणिज्यिक कर, कोटा (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 05 / सीएसटी / 2006–07 में पारित अपील आदेश दिनांक 20.10.2008 के विरूद्ध पेश की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 29, 65, 58 व 62 सपठित केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे केन्द्रीय अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 9 के अन्तर्गत वर्ष 2002–03 के लिए पारित कर निर्धारण आदेश दिनांक 16.03.2005 के द्वारा कुल रू. 2,16,162 / –की मांग सृजित की, जिससे असन्तुष्ट होकर प्रत्यर्थी व्यवहारी ने अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने अपील आंशिक स्वीकार करते हुए कर व सरचार्ज रू. 61,039 / –, शास्ति रू. 122078 / – एवं ब्याज रू. 35,084 / – को अपास्त करते हुए शेष अधिनियम की धारा 62 व 68 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियॉ रू. 500 / – व 500 / – को यथावत रखी है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपास्त किये गये कर व सरचार्ज रू. 61,039 / –, शास्ति रू. 122078 / – एवं ब्याज रू. 35,084 / – को इस अपील के माध्यम से चुनौती दी है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 06.02.2003 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किये जाने पर व्यवसाय स्थल पर नियमित लेखा पुस्तकें व खरीद बिल उपलब्ध नहीं पाये गये। वक्त सर्वेक्षण रसीद नम्बर 13454 / 57 दिनांक 16.01.2003 से कर रू. 7230 / – वसूल होना पाया गया, का सत्यापन कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय से किये जाने पर जानकारी में आया कि उक्त रसीद मैसर्स जनता एग्रो स्टील इण्डस्ट्रीज, भवानी मण्डी

के नाम से दिनांक 16.01.2003 को कोई रसीद जारी नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत बिल नम्बर 1 से 9 तक की छाया प्रतियों की जांच किये जाने पर बिल नम्बर 009 दिनांक 16.01.2003 उनको दिखाये जाने पर यह बिल उनकी फर्म से जारी नहीं करना बताया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जारी बिल नम्बर 5,6 एवं 8 की लिखावट बिल नम्बर 009 दिनांक 16.01.2003 से मेल खाने के कारण करवंचना की नियत से अलग बिल बुक छपवाकर बिल नम्बर 1 से 009 दिनांक 16.01.2003 तक फर्जी दस्तावेज बनाकर जारी किया जाना मानते हुए तथा उनके सम्बन्ध में पूछने पर सन्तोषजनक जवाब नहीं किये जाने के कारण बिल नम्बर 1 से 009 तक की अन्तर्राज्जीय बिक्री प्रति वाहन रू. 49,146/–मानते हुए कुल रू. 4,42,314/–आंकी जाकर, इस पर कर व सरचार्ज 13.80 प्रतिशत से रू. 61,039/–, धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति रू.1,22,078/–, कर राशि जमा नहीं कराने के कारण धारा 58 के अन्तर्गत ब्याज रू. 32,045/– तथा वक्त सर्वेक्षण व्यवसाय स्थल पर नियमित लेखा पुस्तकें उपलब्ध नहीं होने के कारण धारा 62 के अन्तर्गत शास्ति रू. 500/– एवं दिनांक 15.02.2003 को आदेश पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर राज्य कार्य में असहयोग करने के कारण धारा 68 के अन्तर्गत शास्ति रू. 500/–आरोपित करते हुए कुल रू. 2,16,162/–मांग सृजित की। उक्त सृजित मांग के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने कर व सरचार्ज रू. 61,039/–, धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति रू.1,22,078/–, कर राशि जमा नहीं कराने के कारण धारा 58 के अन्तर्गत ब्याज रू. 32,045/–को अपास्त कर अधिनियम की धारा 62 एवं 68 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को यथावत रखते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार की है। कर निर्धारण अधिकारी ने अपास्त किये गये कर व सरचार्ज रू. 61,039/–, धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति रू.1,22,078/–, कर राशि जमा नहीं कराने के कारण धारा 58 के अन्तर्गत ब्याज रू. 32,045/–के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है।

अपीलार्थी कर निर्धारण अधिकारी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 06.02.2003 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किये जाने पर व्यवसाय स्थल पर नियमित लेखा पुस्तकें व खरीद बिल उपलब्ध नहीं पाये गये। उन्होंने बताया कि वक्त सर्वेक्षण रसीद नम्बर 13454/57 दिनांक 16.01.2003 से कर रू. 7230/– वसूल होना पाया गया, जिसका सत्यापन कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय से किये जाने पर जानकारी में आया कि उक्त रसीद मैसर्स जनता एग्रो स्टील इण्डस्ट्रीज, भवानी मण्डी के नाम दिनांक 16.01.2003 को कोई रसीद जारी नहीं की गई है। उनका कथन है कि वक्त

सर्वेक्षण प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत बिल नम्बर 1 से 9 तक की छाया प्रतियों की जांच किये जाने पर बिल नम्बर 009 दिनांक 16.01.2003 उनको दिखाये जाने पर यह बिल उनकी फर्म से जारी नहीं करना बताया । कर निर्धारण अधिकारी ने वक्त सर्वेक्षण पाया कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जारी बिल नम्बर 5, 6 एवं 8 की लिखावट बिल नम्बर 009 दिनांक 16.01.2003 से हूबहू मेल खाती है,जिसके सम्बन्ध में पूछने पर सन्तोषजनक जवाब नही दिये जाने के कारण बिल नम्बर 1 से 009 दिनांक 16.01.2003 तक फर्जी दस्तावेज बनाकर जारी किया जाना मानते हुए बिल नम्बर 1 से 009 तक की अन्तर्राज्जीय बिक्री प्रति वाहन रू. 49,146/–मानते हुए कुल रू. 4,42,314/–आंकी जाकर इस पर कर व सरचार्ज 13.80 प्रतिशत से रू. 61,039/–, धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति रू.1,22,078/–, कर राशि जमा नहीं कराने के कारण धारा 58 के अन्तर्गत ब्याज रू. 32,045/– आरोपित किया। उनका कथन है कि वक्त सर्वेक्षण व्यवसाय स्थल पर नियमित लेखा पुस्तकें उपलब्ध नहीं होने के कारण धारा 62 के अन्तर्गत शास्ति रू. 500/– एवं दिनांक 15.02.2003 को आदेश पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर राज्य कार्य में असहयोग करने के कारण धारा 68 के अन्तर्गत शास्ति रू. 500/–आरोपित करते हुए कुल रू. 2,16,162/–मांग कायम की है,जो प्रकरण के तथ्यों के अनुसार है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों की अनदेखी करते हुए कर, शास्ति एवं ब्याज को अपास्त किया है,जो विधिक नहीं है। उनका कथन है कि यदि अपीलीय अधिकारी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही से सन्तुष्ट नहीं थे तो उन्हें विशिष्ट निर्देशों के साथ प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी को निर्देश प्रदान करने चाहिए थे कि आदेश पारित करने में कर निर्धारण अधिकारी को सहयोग करें, किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आरोपित कर,ब्याज एवं शास्ति को अपास्त किया है,जिसे उचित नहीं कहा जा सकता है। उनका कथन है कि विद्वान अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जिन न्यायिक दृष्टान्तों के उद्धरण पेश किये गये है वह हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होते हैं। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने अनुमान के आधार पर अन्तर्राज्जीय बिक्री करवंचना मानते हुए 13.80 प्रतिशत की दर से कर रू. 61,039/–आरोपित किया है,जो उचित नहीं है। उनका कथन है कि जिस बिल के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कार्यवाही की गई है, उसके सम्बन्ध में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा स्पष्ट से कर निर्धारण अधिकारी को बताया

गया था कि वह बिल प्रत्यर्थी व्यवहारी की फर्म द्वारा जारी नहीं किया गया है, जिसको बिना किसी जांच के ठुकरा कर उक्त कार्यवाही की गई है। उनका कथन है कि जिस सन्दर्भित बिल को वाद का आधार बनाया गया है उससे सम्बन्धित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियॉ चाही गई परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने वांछित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये हैं। उनका कथन है कि अधिनियम की धारा 16 सपठित केन्द्रीय अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत विभाग द्वारा बढाई गई खरीद व बिक्री को प्रमाणित करने का दायित्व विभाग का है ना कि प्रत्यर्थी व्यवहारी का । उन्होंने अपने कथन के समर्थन में अपीलीय स्तर पर उद्धरित किये गये न्यायिक दृष्टान्तों पर बल देते हुए अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश को विधिक बताते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्ष की बहस सुनी गयी, उपलब्ध रिकार्ड एवं अपीलीय अधिकारी के आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण के तथ्यानुसार प्रत्यर्थी व्यवहारी के व्यवसाय स्थल का सर्वेक्षण दिनांक 06.02.2003 को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किये जाने पर व्यवसाय स्थल पर नियमित लेखा पुस्तकें व खरीद बिल उपलब्ध नहीं पाये गये। वक्त सर्वेक्षण रसीद नम्बर 13454/57 दिनांक 16.01.2003 से कर रू. 7230/– वसूल होना पाया गया, का सत्यापन कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय से किये जाने पर जानकारी में आया कि उक्त रसीद मैसर्स जनता एग्रो स्टील इण्डस्ट्रीज, भवानी मण्डी के नाम दिनांक 16.01.2003 को कोई रसीद जारी नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत बिल नम्बर 1 से 9 तक की छाया प्रतियों की जांच किये जाने पर बिल नम्बर 009 दिनांक 16.01.2003 उनको दिखाये जाने पर यह बिल उनकी फर्म से जारी नहीं करना बताया गया । कर निर्धारण अधिकारी ने प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा जारी बिल नम्बर 5,6 एवं 8 की लिखावट बिल नम्बर 009 दिनांक 16.01.2003 से मेल खाने के कारण करवंचना की नियत से अलग बिल बुक छपवाकर बिल नम्बर 1 से 009 दिनांक 16.01.2003 तक फर्जी दस्तावेज बनाकर जारी किया जाना मानते हुए तथा उनके सम्बन्ध में पूछने पर सन्तोषजनक जवाब नहीं दिये जाने के कारण बिल नम्बर 01 से 09 तक की अन्तर्राज्जीय बिक्री प्रति वाहन रू. 49,146/–मानते हुए कुल रू. 4,42,314/–आंकी जाकर इस पर कर व सरचार्ज 13.80 प्रतिशत से रू. 61,039/–, धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति रू.1,22,078/–, कर राशि जमा नहीं कराने के कारण धारा 58 के अन्तर्गत ब्याज रू. 32,045/– तथा वक्त सर्वेक्षण व्यवसाय स्थल पर नियमित लेखा पुस्तकें उपलब्ध नहीं होने के कारण धारा 62 के अन्तर्गत शास्ति रू. 500/– एवं दिनांक 15.02.2003 को आदेश पत्र पर हस्ताक्षर नहीं कर राज्य कार्य में असहयोग करने के कारण धारा 68 के अन्तर्गत शास्ति रू. 500/–

आरोपित करते हुए कुल रू. 2,16,162/–मांग सृजित की। उक्त सृजित मांग के विरूद्ध अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर, उन्होंने कर व सरचार्ज रू. 61,039/–, धारा 65 के अन्तर्गत शास्ति रू.1,22,078/–, कर राशि जमा नहीं कराने के कारण धारा 58 के अन्तर्गत ब्याज रू. 32,045/–को अपास्त कर अधिनियम की धारा 62 एवं 68 के अन्तर्गत आरोपित शास्तियों को यथावत रखते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार की है।

उपलब्ध रिकार्ड से ज्ञात होता है कि कर निर्धारण अधिकारी ने विवादित बिल नम्बर 9 एवं 1 से 09 बिलों की छपाई के अन्तर, बिलों की हैण्ड राइटिंग एक्त से जांच नहीं करवाई है और ना ही बिल्टी जारी करने वाले ट्रांसपोर्ट कम्पनी से कोई जांच की है। वाहन संख्या एम.पी.14/जे0ए.–0025 के वाहन चालक ने माल किस व्यवसाई अथवा स्थान से भरा है,इसकी जांच नहीं करवाई है। कर निर्धारण अधिकारी ने अनुमान के आधार पर बिल नम्बर 1 से 09 तक की अन्तर्राज्जीय बिक्री दूसरी बिल बुक से जारी किया हुआ मानकर करापवंचन मानते हुए कर, शास्ति एवं ब्याज का आरोपण किया है, जो विधिक एवं उचित नहीं है। कर निर्धारण अधिकारी यदि यह मानते थे कि बिल की हैण्डराईटिंग में अन्तर और करापवचंन की मंशा से बनाये गये हैं, तो उन्हें हैण्डराईटिंग विशेषज्ञ से विस्तृत जांच कर साक्ष्य एकत्रित करने चाहिए थे, जो उनके द्वारा नहीं किया गया है। इन्हीं तथ्यों का विस्तृत विश्लेषण करते हुए अपीलीय अधिकारी द्वारा कर, ब्याज एवं अधिनियम की धारा 65 के अन्तर्गत आरोपित शास्ति को अपास्त किया है, जो उचित है।

प्रकरण के उपरोक्त विवेचित तथ्यों के आधार पर अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(सुनील शर्मा)
सदस्य